

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"कर-भवन", अजमेर


क्रमांक: एफ-7(108)जन/10/ 24903-25265 दिनांक: 3-12-10

समस्त उप पंजीयक,
राजस्थान

विषय: प्रलेख लेखन की दरों का प्रदर्शित करने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(54)वित्त/कर/10 दिनांक 20.10.10 द्वारा प्रलेख लेखकों को दस्तावेज लिखने की दरें बढ़ाने के लिए की गई प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.7(108)जन/10/18095 दिनांक 21.10.10 के द्वारा प्रलेख लेखन की दरों में वृद्धि कर पुनः निर्धारित की गई है

इस संबंध में सभी उप पंजीयकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन नवीन दरों को कम्प्यूटर के माध्यम से मोटे अक्षरों में टंकित करवाकर अथवा मोटे/स्पष्ट अक्षरों में बोर्ड पर लिखवाकर कार्यालय के बाहर सुदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि आमजन को इनकी जानकारी हो सके।

भवदीय,

महानिरीक्षक, 03/12
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(108)जन/10/

दिनांक:

प्रतिलिपि :-

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर व समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

//
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

अतिरिक्त कलक्टर
22/12/10
जयपुर
3-12-10

सूचना

प्रलेख: लेखन की दरों का प्रदर्शित बाबत

21.10.10 से प्रभावी

क्र स०	लेख्य पत्र का प्रकार	निर्धारित दरें
1	बैयनामा, दान पत्र, रहननामा व बंटवारा नाम	
अ	सम्पति का मूल्य 0.10 लाख तक	50 रूपये
ब	सम्पति का मूल्य 1.00 लाख तक	100 रूपये
स	सम्पति का मूल्य 5.00 लाख तक	150 रूपये
द	सम्पति का मूल्य 10.00 लाख तक	200 रूपये
	10.00 लाख से अधिक पर प्रत्येक 10.00 लाख पर	100 रूपये
2	मुखत्यारनामा आम एवं खास	50 रूपये
3	गोदनामा	50 रूपये
4	वसीयतनामा	50 रूपये
5	अन्य प्रकार के आलेख	30 रूपये
6	प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि एवं निरीक्षण हेतु	05 रूपये

आज्ञा से

श्रीमान महानिरीक्षक महोदय
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर